समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 03-1540 /रा0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

बक्सर, दिनांक 31 / 07 / 2017

विषय : वर्ष–2017 की संभावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ सामग्रियों के क्रय हेतु अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पकालीन पुनर्निविदा की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु इस पत्र के साथ निविदा सूचना की 5 (पॉच) प्रति एवं CD संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि दो प्रमुख स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में उक्त निविदा सूचना अविलम्ब प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोपरि।

ह0–
जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 03-1540 /रा0, दिनांक 31-07-17 /

प्रतिलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित करना है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना की प्रति अविलम्ब जिला राजस्व शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर /आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं बक्सर जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार करवाने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

31.7.17
जिला पदाधिकारी
बक्सर

समाहरणालय, बक्सर

(राजस्व शाखा)

अल्पकालीन पुनर्निविदा

आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के निदेशानुसार वर्ष 2017 बाढ़ पूर्व तैयारियों के आलोक में संभावित बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत बचाव कार्यो हेतु सामग्री क्रय की जानी है जो निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	चावल मंसूरी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
2	आटा	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
3	चूड़ा	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
4	चना देसी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
5	गुड़	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
6	मुढ़ी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
7	दाल (अरहर चना मूँग मसुर)	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
8	सरसों तेल (एग मार्क / ISI मार्का)	उत्तम किस्म में	15 किलो ग्राम
9	मशाला (जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनियाँ पाउडर, गोल मिर्च पाउडर) (एग मार्क / ISI मार्का)	उत्तम किस्म में	दर प्रति किलो ग्राम अलग-अलग में होगा
10	आलू / प्याज	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
11	सत्तु (चना का)	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
12	पावरोटी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
13	आयोडाइज्ड नमक	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
14	चीनी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
15	दिया सलाई मझोला साईज	उत्तम किस्म में	दर प्रति पैकेट (12 की संख्या में)
16	मोमबत्ती	लम्बाई 8.5" गोलाई 2.5"	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)
17	मार्किन कपडा का थैला	लम्बाई 2 फीट चौड़ाई 1.5 फीट	दर प्रति नग/ क्वींटल में अंकित होगा
18	प्लास्टिक थैला	5 कि० ग्राम एवं 2.5 कि० ग्राम (250 माईक्रेन का)	दर प्रति कि०ग्रा० में अंकित होगा
19	जलावन की लकड़ी (सुखी हुई)		प्रति क्वींटल
20	खाना बनाने का सभी प्रकार का बर्त्तन (भाड़े पर)		प्रति दिन
21	खाना बनाने का गैस भट्ठी/ चूल्हा (भाड़े पर)		प्रति दिन
22	जेनरेटर भाड़े पर (5 Kva, 10 Kva, 20 Kva,)		प्रति दिन
23	सभी प्रकार के जेनरेटर से जलने वाले लाईट		प्रति दिन
24	वाटर प्रूफ टेंट / पंडाल (भाड़े पर)		प्रति दिन
25	धोती	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
26	साड़ी	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
27	ब्लॉउज पीस	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
28	पेटीकोट (दो मीटर का पीस)	उत्तम किस्म	दर प्रति मीटर में। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
29	फ्रॉक (लडकी का)	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
30	पैन्ट (लडकी का)	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
31	टीशर्ट (लडका का)	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
32	पैन्ट (लडका का)	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
33	गंजी	उत्तम किस्म	प्रति नग

34	लूंगी	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
35	गमछा	उत्तम किस्म	दर प्रति पीस। यदि ब्रान्ड हो तो उसका नाम अंकित करे।
36	दरी	उत्तम किस्म में	प्रति नग
37	चटाई	उत्तम किस्म में	प्रति नग
38	थाली	उत्तम किस्म में	प्रति नग
39	कटोरा	उत्तम किस्म में	प्रति नग
40	ग्लास	उत्तम किस्म में	प्रति नग
41	लोटा	उत्तम किस्म में	प्रति नग
42	सुतली	उत्तम किस्म में	प्रति कि0ग्रा0
43	प्लास्टिक रस्सी	उत्तम किस्म में	प्रति कि0ग्रा0
44	सिमेन्ट की खाली बोरी	उत्तम किस्म में	प्रति नग
45	सोयाबीन बरी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल
46	दुध पॉउडर (छः माह से दो वर्ष के बच्चों के लिए)	लेक्टोडेक्स/लेक्टोजेन एवं अन्य ब्रान्ड का	दर प्रति पैकेट- 500 ग्राम
47	सिनेटरीकीट (छः माह से दो वर्ष के बच्चों के लिए)	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट में। ब्रान्ड को हो उसका नाम अंकित करें।
48	सिनेटरी कीट (व्यस्क के लिए) तेल, साबुन, सर्फ, कंघी, आईना, टुथपेस्ट एवं टुथब्रस	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट में। यदि ब्रान्ड वो हो उसका नाम अंकित करें।
49	मौसमी सब्जी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल

बक्सर जिलान्तर्गत बाढ़ के समय आपूर्ति हेतु उपरोक्त सामग्रियों के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डालने हेतु निम्नांकित शर्तो का अनुपालन आवश्यक हैः-

1. उपरोक्त सामग्रियों हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 10.08.2017 के अपराहन 03 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार की जाएगी, जिसे जिला क्रय समिति के समक्ष दिनांक 11.08.2017 को अपराहन 04:00 बजे खोला जाएगा।
2. निविदा निर्धारण के समय निविदा दाता क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने (खाद्यान्न के नमूने के पैकेट जो कम से कम 01 कि0ग्रा0 का हो) के साथ उपस्थित रहेंगें ताकि उनकी गुणवत्ता की जॉच मानक के अनुसार की जा सके।
3. निविदा दाताओं को निविदा के साथ दुकान / प्रतिष्ठान / फर्म की अनुज्ञप्ति या निबंधन, वाणिज्यकर का VAT या GST निबंधन, अद्यतन आयकर रिटर्न, पैन कार्ड तथा अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
4. निविदा दाताओं के लिए अनिवार्य है कि उनका नाम काली सूची में दर्ज न हो, इस आशय का शपथ पत्र।
5. निविदा के साथ रूपये 10,000/- (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रुप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के नाम से जमा करना होगा। असफल निविदा दाताओं को अग्रधन की राशि लौटा दिया जाएगा।
6. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा।
7. खाद्यान्न की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की गुणवता स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
8. आपूर्ति की गयी सामग्रियों का भुगतान, गुणवता के जॉचोपरान्त की जाएगी।
9. आपूर्ति की गयी सामग्री में त्रुटि पाये जाने पर आपूर्ति कर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्तिकर्त्ता को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

10. निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के अंदर नमूना के अनुरुप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति संबंधित अंचल मुख्यालयों तक निश्चित रुप से करेंगे। इसके लिए अलग से कोई भाड़ा देय नहीं होगा।

11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने, रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12. संभावित बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकता पड़ने पर सामग्रियों की आपूर्ति का आदेश दिया जाएगा तथा आपूर्ति ली जाएगी।

13. कोई भी विवाद या दावा बक्सर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

14. विशेष जानकारी के लिए जिला राजस्व / आपदा शाखा, समाहरणालय, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है तथा बक्सर के आधिकारिक वेबसाईट http:/buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

31.7.17

जिला पदाधिकारी
बक्सर।